

11/1/25

पशावली पेशी में ली गई, असाथी सं. पता २  
 खातिर नही आने के कारण इनके दिक्का एक  
 पञ्जीप कार्यवाही अमल में लाई जाती है अतः  
 ये सुना पाका प्रार्थनाया स्वीकार किया  
 जाता है विस्तृत निष्पत्ति अलग से लिखवाया पाका  
 सुनाया गया। पशावली बंधर से कर की  
 पाका काषिल फलतः ही जाती है

01/25

सहायक कलक्टर  
 एवं उपखण्डाधिकारी  
 हनुमानगढ़

